कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

G20

पत्रांक—1130 /12—1 देहरादूनः　　　　　　　　　　　　दिनांकः 9 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप महा निदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25—सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबागढ़ गोगिंपानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/155257/2022)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरूदन की पत्र सं. 8बी./यू.सी.पी./06/35/2023/एफ०सी० दिनांक 30—04—2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी की गई आपत्ति के कम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1600/12—1(2) दिनांक 17—10—2025 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई जिसे उनके द्वारा अपने पत्रांक 1133/12—1 (2) दिनांक 30—10—2025 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित किया गया है—

क0सं0	आपत्ति	ऑख्या
1	The site inspection report of DFO shall be submitted to justify that the proposed alignment is best suited to connect the village Falyati, Kaliyabagar and goginaoani.	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा भारत सरकार की आपत्ति के कम में दिनांक 22—09—2025 को कार्यदायी संस्था के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण ऑख्या के अनुसार इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य "मण्डलसेरा मार्ग के किमी 02 से प्रस्तावति मोटर मार्ग के निर्माण से कलियाबगड़ व गोगिनापानी के ग्रामीणों को निकटस्त नगरीय क्षेत्र से जोड़ना है जिसके लिए उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा के साथ—साथ व्यापारिक रुप से बाजार तक सुगम पहुंच प्राप्त हो सके। निरीक्षण ऑख्या में यह भी उल्लेख कया गया है कि वर्तमान समरेखण में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कलियाबगड़ सीधे जनपद मुख्यालय (मण्डलसेरा) से जुड़ जाएगा जिस हेतु ग्रामीणों को अधिकतम 3 किमी दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि वैकल्पिक समरेखण से ग्राम फल्याटी से होते हुए वर्तमान निर्मित मोटर मार्ग से किया जाता है तो इस ग्रामों की जनपद मुख्यालय से दूरी लगभग 12 किमी हो जाती है। अतः प्रस्तावित समरेखण ग्राम कलियाबगड़ व गोगिनापानी को जनपद मुख्यालय से जोडे जाने के दृष्टिगत उचित विकल्प है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पत्रांक 1600/12—1(2) दिनांक 17—10—2025 से प्रकरण में प्रेषित ऑख्या संलग्न है। (संलग्नक—1)

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित उत्तरालेख की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1128 /12–1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
2– अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(डॉ0 एस०पी० सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1133 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 30/10/ 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड़ गोगिनापानी से मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। (प्रस्ताव सं0– 155257 / 2016)**

संदर्भः– **भारत सरकार के पत्रांक 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 35 / 2023 / एफ0सी0 दिनांक–30.04.2025।**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1600 / 12–1(2) दिनांक 17.10.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न–यथोपरि।

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून.
प्राप्ति सं0 3529
पत्रावली 12-1
दिनांक 6-11-25

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभारी बागेश्वर
आ० का० करें।

प्र० व० सं०/नो०
6-11-25

27 OCT 2025 अभिलेख

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेटरं– 9208008000

पत्रांक 1600 /12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 17 / 10 /2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – जनपद बागेश्वर अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 02 से कलियाबगड गोगिनापानी से मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–155257/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/35/2023/एफ0सी0 दिनांक 30.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0 1	The site inspection report of DFO shall be submitted to justify that the proposed alignment is best suited to connect the village Falyati, Kaliyabagar and Goginapani.	Site inspection report संलग्न है।

अतः सूचना सेवा मे सादर प्रेषित।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की आपत्ति के बिन्दु संख्या 1 के कम में आख्या

जनपद बागेश्वर में विधनसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा से कलियाबगड़ होते हुए गोगीनापानी तक मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव प्रान्तीय निर्माण खण्ड बागेश्वर द्वारा तैयार किया गया है । क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.04.2025 को लगायी गयी आपत्ति The site inspection report of DFO shall be submitted to justify that the proposed alignment is best suited to connect the village Falyati, Kaliyabagar and Goginapani. के सम्बन्ध में दिनांक 22.09.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता एंव सहायक अभियन्ता के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें देखा गया कि मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी 02 से प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से कलियाबगड़, व गोगीनापानी के ग्रामीणों को निकटस्त नगरीय क्षेत्र से जोड़ना है जिससे उन्हें शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधा के साथ–साथ व्यापारिक रूप से बाजार तक सुगम पहुच प्राप्त हो सके।

वर्तमान में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम कलियाबगड़ सीधे जनपद मुख्यालय (मण्डलसेरा) से जुड़ जाएगी जिस हेतु ग्रामीणों को अधिकतम 3 km दूरी तय करनी होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं से चर्चा की गयी तथा प्रस्तावित समरेखण की के0एम0एल0 फाइल का भी अवलोकन किया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया की वर्तमान संरेखण से गोगिनापानी एवं फल्याटी ग्राम आंशिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, पूर्ण रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु पृथक से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। **(छायाप्रति संलग्न)**

यदि समरेखण ग्राम फल्याटी से होते हुए वर्तमान निर्मित मोटर मार्ग से किया जाता है, तो इन ग्रामों की जनपद मुख्यालय से दूरी लगभग 12 km हो जाती है। इस नए प्रस्तावित समरेखण में भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की आवश्यकता होगी जिसकी सही मात्रा समरेखण के निर्धारण के उपरान्त ही आगणित की जा सकती है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु रिर्पोट सेवा में सादर प्रेषित है।

(आदित्य रत्न),
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

सामान्य

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2305/2ई0व0भू0, दिनांक 25/09/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड़–गोगिनापानी मोटर मार्ग के 1.469 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यार्वतन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/155257/2022)

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 1187/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 18.09.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में फल्याटी, गोगिनापानी एवं कलियाबगड़ ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़े जाने हेतु औचित्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

उक्त मोटर मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/जिला योजना/2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा 3.00 कि.मी. लम्बाई हेतु प्रदान की गयी है। उक्त ग्रामों को पूर्व में बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उक्त संरेखण से कलियाबगड़ एवं गोगिनापानी के ग्रामीणों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से उक्त ग्राम वासियों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ रहा था, जिला मुख्यालय के साथ–साथ उक्त ग्रामीणों का निकटतम बाजार, अस्पताल, इन्टर कालेज आदि बागेश्वर ही होने के कारण वर्तमान संरेखण से काफी नजदीग हैं जिन्हें आने जाने में समय की बचत होगी एवं इलाज हेतु रोगियों तथा असहाय लोगों को अस्पताल एवं जिला मुख्यालय लाने में सहुलियत होगी। वर्तमान संरेखण के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प कलियाबगड़ एवं गोगीनापानी के ग्रामीणों को जोड़े जाने हेतु उपलब्ध नही है।

अतः प्रस्तावित संरेखण मण्डलसेरा मोटर मार्ग के किमी0 2 से कलियाबगड़ तक प्रस्तावित किया गया है। इस संरेखण का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है।

बागेश्वर–मुनस्यारी मोटर मार्ग से कलियाबगड़ की पैदल दूरी लगभग 5 से 6 किमी0 एवं गोगिनापानी की पैदल दूरी लगभग 8 से 10 किमी0 आती है। वर्तमान संरेखण से गोगिनापानी एवं फल्याटी ग्राम आंशिक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, पूर्ण रूप से लाभान्वित किये जाने हेतु पृथक से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पंजीयन संख्या 1196
दिनांक 27/9/2025
शाखा
फाइल 12-1-2
आवश्यक कार्यवाही करें।

उ0 प्रभा0 अधि0 प्र0 व0 अ0